

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ।  
पत्रांक:- ११०/११-सी-FP/UP/Road/19199/2016, लखनऊ, दिनांक: अक्टूबर १०/१०/२०१७

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय),  
भारत सरकार,  
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय,  
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र)  
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषय:- जनपद-फैजाबाद में फैजाबाद-इलाहाबाद रा०मा० संख्या-३३० (पुराना एन.एच.-९६) के किमी. १२.६०० से किमी. १२.९५० तक टोल प्लाजा की स्थापना हेतु ०.८४० हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक २०१ वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक-८बी/यू०पी०/०६/१८/२०१७/एफ०सी०/३२२, दिनांक-१८.०९.२०१७

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयोंकित प्रकरण में वांछित सूचना/अभिलेख वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सरयू वृत्त फैजाबाद ने अपने पत्रांक-१३२२/१४-१०, दिनांक-२७.०९.२०१७ द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया है। अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित सूचना/अभिलेख की एक मूल प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयोंकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीय,

(डा० प्रशान्त कुमार वर्मा)  
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- /११-सी-FP/UP/Road/19199/2016 दिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- १- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा०वा० सरयू वृत्त, फैजाबाद।
- २- प्रभागीय वनाधिकारी, फैजाबाद वन प्रभाग, फैजाबाद।
- ३- अधिशसी अभियन्ता, अस्थायी खण्ड(सा०मा०), लो०नि०वि०, सुलतानपुर।

(डा० प्रशान्त कुमार वर्मा)  
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ।